तत्काल /महत्वपूर्ण

संख्या- 26 / 753/अड्तीस-9-2014-500(21)/2012

प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 11 सितम्बर, 2014**

विषय-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत 15वीं विधान सभा के कार्यकाल से सम्बन्धित निर्माणाधीन कार्यों से सम्बन्धित धनराशि को छोडकर भिन्न अवशेष धनराशि, जो परिसीमन से आच्छादित विधान सभा क्षेत्रों से सम्बन्धित है, के व्यय के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1875/कार्य0अनु0/वि0नि0/2014-15, दिनांक-28.08.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों में संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक-29.11.2012 द्वारा किये गये अन्य संशोधनों के साथ ही मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर-3.9 के साथ प्रस्तर-3.9(क) के रूप में किये गये प्राविधानों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-727/अड्तीस-9-2013-500(21)/2012, दिनांक-28.06.2013 द्वारा निम्न निर्देश दिये गये है:-

''परिसीमित विधान सभा क्षेत्रों की निर्माणाधीन कार्यों से सम्बन्धित अवशेष धनराशि को छोडकर भिन्न अवशेष धनराशि को सम्बन्धित जनपदों से ट्रेजरी चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एकत्रित करके जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाते में जमा कराकर उक्त धनराशि को आच्छादित विधान सभा क्षेत्रों में बराबर-बराबर आवंटित/अवमुक्त कर दी जाय और इस कार्य का अनुश्रवण अपर आयुक्त लेखा, ग्राम्य विकास द्वारा किया जाय।''

2- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर-3.9(क) में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है:-

प्रस्तर-3.9(क)-

''परिसीमन से प्रभावित विधान सभा क्षेत्रों में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की अवशेष धनराशि को एकीकृत करते हुए उन क्षेत्रों की विधान सभा क्षेत्रों के समस्त मा0 सदस्यों की कुल संख्या में बराबर-बराबर विभाजित कर उपलब्ध करायी जा सकेगी।''

-2/

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अर्थात् उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार किसी विधान सभा क्षेत्र के अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को परिसीमन के परिणामस्वरूप नवसृजित विधान सभा क्षेत्रों के मा0 सदस्यों की कुल संख्या के बराबर-बराबर बॉटा जाएगा, न कि प्रदेश के कुल 404 विधान सभा क्षेत्रों के मा0 सदस्यों में।

4- कृपया तदनुसार कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या- 26 / 753(1)/अड्तीस-9-2014, तद दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ।

2- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्देश पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाते में जमा धनराशि आहरित कर सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने हेतु यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

3- कोषाधिकारी, लखनऊ।

4- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in